11.6.21

पत्रावली पेश हुयी। वादी वकील उप0 रहे।
पटवारी हल्का रिपोर्ट प्राप्त है। पैमाइश [illegible]
रिपोर्ट [illegible] किया गया। प्रार्थी अधि0
से बहस सुनी गयी। [illegible] पैमाइश रिपोर्ट
व बहस [illegible] अवलोकन से प्रकरण [illegible] कि
प्रतीत होता है। अतः प्रकरण मे विस्तृत
निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल
पत्रावली किया [illegible] पत्रावली फैसल
शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

पृष्ठ 02/37
दलबीर सिंह बनाम सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :— सुरेन्द्र प्रसाद (आर ए एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
02/37	08.02.2023	11.06.2025

उनवान

01. दलबीरसिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति राजपूत निवासी रसगण तहसील नौगांवा जिला अलवर

.....प्रार्थी

बनाम

02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ जिला अलवर

..... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम मश्वरे दुरस्ती किये जाने बाबत।

निर्णय

प्रार्थी दलबीरसिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति राजपूत निवासी रसगण तहसील नौगांवा जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की आराजी जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 के खाता सं० 627, 239, 152, 146, 840, 407, 361, 359 वाके ग्राम रसगण तहसील नौगावां जिला अलवर में स्थित है जिस आराजी का प्रार्थी रिकोर्डेड काबिज काश्तकार खातेदार है। उपरोक्त आराजी इस प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी है जो आगे प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी से सम्बोधित की जावेगी। प्रार्थी का नाम दलबीरसिंह पुत्र दर्शनसिंह है, जैसा कि आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड व जमाबन्दी सम्वत 2074—77 के खाता सं० 627, 239, 152, 146, 840, 407 वाके ग्राम रसगण आदि में स्पष्ट अंकित है, जो सही है तथा प्रार्थी का नाम जमाबन्दी सम्वत 2074—77 के खाता सं0 361, 359 वाके ग्राम रसगण में गलत नाम दलबीर के स्थान पर बलवीरसिंह दर्ज रिकार्ड है। जो गलत है, राजस्व कर्मचरियान द्वारा जमाबन्दी तैयार करते समय राजस्व रिकार्ड के दो खातो में प्रार्थी का गलत नाम दर्ज कर दिया जिससे प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है। जबकि राजस्व कर्मचारियान को प्रार्थी का सही नाम दलबीरसिंह पुत्र दर्शानसिंह ही दर्ज करना चाहिए था। जमाबन्दी सम्वत 2074—77 के खाता सं० 627, 239, 152, 146. 840, 407 वाके ग्राम रसगण में स्पष्ट अंकित है, जो सही है तथा प्रार्थी का नाम जमाबन्दी सम्वत 2074—77 के खाता सं० 359. 361 वाके ग्राम रसगण में लिपीकीय गलती के कारण गलत नाम दलवीरसिंह के

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

पर बलवीरसिंह दर्ज रिकार्ड है। जो गलत है उसे दुरूस्त कर उसके स्थान प्रार्थी का सही नाम दलबीरसिंह पुत्र दर्शनसिंह दर्ज किया जावें। प्रार्थी राजस्व कर्मचारियान द्वारा सहयान से लिपीकीय त्रुटि को दुरूस्त कराने का कानूनन अधिकारी है। प्रार्थी उपरोक्त आराजी पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए बैंक मैनेजर के पास गया तो बैंक मैनेजर ने राजस्व रिकार्ड के दस्तावेजात मांगे तो प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड की नकले आदि बैंक मैनेजर को दिखाई तो बैंक मैनेजर ने देखकर किसान क्रेडिट कार्ड बनाने से मना कर दिया। कि राजस्व रिकार्ड के खातो में प्रार्थी का नाम अलग होने से आपका किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बन सकता इसलिए मिन प्रार्थी को यह दावा दुरूस्ती करने की मजाहमत पैदा हुई जो अन्दर अवधि प्रस्तुत है। प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार रामगढ के यहां नाम दुरूस्ती का प्रस्तुत किया जिसमें तहसीलदार द्वारा साफ मना कर दिया गया कि हम आपके नाम को दुरूस्त नही कर सकते। सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आये उसके बाद हम नाम दुरूस्त कर सकते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताहाल राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के दस्तावेजात के आधार पर जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता सं० 627, 239, 152, 146, 840, 407 वाके ग्राम रसगण में प्रार्थी का नाम दलबीरसिंह स्पष्ट अंकित है, जो सही है तथा प्रार्थी का नाम जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता सं0 359, 361 वाके ग्राम रसगण में गलत नाम दलबीरसिंह के स्थान पर बलवीरसिंह दर्ज रिकार्ड है। जो लिपीकीय त्रुटि से बलवीरसिंह नाम गलत दर्ज हुआ है उसे दुरूस्त कर उसके स्थान प्रार्थी का नाम समस्त राजस्व रिकार्ड में दलवीरसिंह पुत्र दशर्नसिंह दर्ज करते हुए समस्त राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कराने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) तहसीलदार रामगढ की ओर से न्यायालय में प्रार्थना पत्र के जवाब में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। जिसका विवरण इस प्रकार है कि खाता संख्या 627,239,152,146,840,407,361,359 में वाके ग्राम रसगण में प्राथी के नाम खातेदारी भूमि दर्ज है। प्रार्थी का नाम आधार कार्ड संख्या–874949901765 में पहचान पत्र में ड्राइविंग लाइसेंस तथा पेनकार्ड में दलबीरसिंह पुत्र दर्शनसिंह दर्ज है। जमाबंदी संवत 2074–77 के खाता संख्या 146 में ख.न. 1209 में खाता स. 152 के ख.न. 2155/1903 खा.न.–239 में ख.न.–2119/922 खाता स. 241 में ख.न. 1093,1902 खाता स.–407 में किला 9/3.81 खाता स–ख.नः 1245, 1246 खाता स. 840 में ख.स. 1247 में दलबीरसिंह पुत्र दर्शनसिंह कोम–राजपूत सा. देह खातेदार दर्ज है तथा ख.न. 302, 303, 1915, 905 में बलबीर सिंह पुत्र दर्शनसिंह कोम–राजपूत सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त सभी खसरा नंबर जर्ये बयनामा के प्राथों के नाम दर्ज हुए है। दलबीरसिंह पुत्र दर्शनसिंह तथा बलबीरसिंह पुत्र दर्शनसिंह दोनों नाम एक ही व्यक्ति के नाम है इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति इस

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

...में नही है। प्रार्थी के आधार कार्ड, पेनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पहचानपत्र तथा अधिकांश राजस्व रिकॉर्ड में दलबीरसिंह पुत्र दर्शनसिंह ही दर्ज है। बलबीरसिंह पुत्र दर्शनसिंह के स्थान पर दलबीरसिंह पुत्र दर्शनसिंह किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) की रिपोर्ट पर मनन किया गया। तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वाके ग्राम पूठी की उक्त विवादित आराजी 1328/787, 1331/788, 1334/790 के राजस्व रिकॉर्ड में अ.वि.वि मु. कदीम को हटाया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पैरोकार सरकार रिपोर्ट अनुसार वाके ग्राम पूठी की विवादित आराजी 1328/787, 1331/788, 1334/790 के राजस्व रिकॉर्ड में अ.वि.वि मु. कदीम को हटाया जाना उचित प्रतित होता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उक्त विवादित आराजी 1328/787, 1331/788, 1334/790 वाके ग्राम पूठी के राजस्व रिकॉर्ड में अ.वि.वि मु. कदीम को हटाया जाकर दुरूस्त किया जाता है। उक्त दुरूस्ती हेतु तहसीलदार रामगढ को अहमकाम जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ अलवर

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)